2

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 152/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

लोदो मुण्डा – विक्रेता

हिरामोती उराँव – क्रेता

आदेश की क्रम सख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
03.01.19	**आदेश**	

आवेदक लोदो मुण्डा पिता स्व0 सोमा मुण्डा ग्राम–कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने हिरामोती उराँव पति श्री अर्जुन उराँव ग्राम–कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
कुंजला	249	35	642	0.10½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1501845547 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 641 दिनांक 25.08.18 से जाँच का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम विजना मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार बौला मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकवा 17.69½ एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 4.40 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 16414.00(सोलाह हजार चार सौ चौदह)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.29½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण लोदो मुण्डा पिता स्व0 सोमा मुण्डा को हिरामोती उराँव पति श्री अर्जुन उराँव के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं0 35 खेसरा संख्या 642 का रकबा 0.10½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 16414.00(सोलाह हजार चार सौ चौदह)प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

3/01/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

3/01/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।